संख्या-420/2017/450/22-2-2017-17(96)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 13 जून, 2017***

विषय:- जिला कारागार, इटावा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जगदीश सिंह यादव पुत्र श्री होरीलाल निवासी जनपद- औरैया की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-42941/प्रोबे0-5-द0या0 बैठक-28.10.2016 दिनांक 02.12.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 02.12.2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, इटावा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जगदीश सिंह यादव पुत्र श्री होरीलाल, निवासी-करियापुर, थाना-सहायल, जनपद-औरैया हाल पता-शांतीनगर, थाना-दिबियापुर, औरैया का रहने वाला है। बन्दी द्वारा दहेज की मांग को लेकर दिनांक 24.07.2012 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर लाईसेंसी रिवाल्वर से गुप्तांग में गोली मारकर 01 महिला प्रियंका की हत्या कर अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-186/2012 में भा0द0वि0 की धारा-498ए, 304बी व 3/4 डी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट, औरैया के आदेश दिनांक 20.10.2015 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित है। बन्दी द्वारा दिनांक 03.09.2016 तक 04 वर्ष 01 माह 08 दिन की अपरिहार सजा तथा 04 वर्ष 03 माह 08 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। जिला मजिस्ट्रेट, औरैया की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 22.04.2016 द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। दयायाचिका समिति द्वारा कारित अपराध की प्रकृति, काटी गयी सजा, जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा सक्षम स्तर पर यह पाया गया कि दयायाचिका समिति द्वारा रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। अत: समय से पूर्व रिहाई का औचित्य स्थापित नहीं होता है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी जगदीश सिंह यादव (बन्दी संख्या-4792/2015) पुत्र श्री होरीलाल, निवासी-जनपद-औरैया की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-420/2017/450/(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, औरैया।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
3- अधीक्षक, जिला कारागार, इटावा।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।